

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6-7, एवरेस्ट कॉलोनी, अपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, टोंक रोड., जयपुर-302015

फोन : 0141-4004914 Website: www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांक:- प. 13 () / काउ. (सत्र 2020-21) / रा. पै. मेडि. कौं / 2021 / 168

दिनांक:- 31/12/21

प्रधानाचार्य,

संबद्ध समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय / संस्थान,
राजस्थान।

विषय : प्रशिक्षण सत्र 2020-21 में विभिन्न पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में तीन चरणों की काउन्सलिंग के पश्चात् रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के संबंध में जारी दिशा-निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा प्रशिक्षण सत्र 2020-21 में विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त राजकीय व निजी महाविद्यालयों/संस्थानों में तीन चरणों की काउन्सलिंग के माध्यम से नियमानुसार पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी आवंटन किये गये थे, जिसके पश्चात् भी कुछ महाविद्यालय/संस्थानों में विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु सीटें रिक्त रह गई हैं, जिसकी सूची विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में द्वारा याचिका संख्या 16082/2021 सोसायटी ऑफ प्राईवेट पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.12.2021 की पालना में रिक्त रही सीटों के लिए याचिकार्थी से संबंध महाविद्यालय/संस्थान एवं अन्य सभी महाविद्यालय/संस्थान, जिनमें सीटें रिक्त रह गई हो, अपने स्तर पर अभ्यर्थियों से ऑन-लाईन फार्म प्राप्त कर कोर्सवार मेरिट सूची कौंसिल को प्रस्तुत करेंगे।

प्रवेश प्रक्रिया हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार है:-

1. ऐसे सभी महाविद्यालय/संस्थान, जिनमें द्विवर्षीय डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में सीटें रिक्त हैं, वे इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 03.01.2022 से 08.01.2022 तक ऑन-लाईन आवेदन प्राप्त करेंगे।
2. महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के उपरान्त उनकी वरीयतानुसार महाविद्यालय/संस्थान अपनी SSO ID के माध्यम से कौंसिल को दिनांक 11.01.2022 तक प्रस्तुत करेंगे। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा सत्र 2020-21 में ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में पुनः आवेदन शुल्क भुगतान की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के पूर्व में भरे गये आवेदन में दिये गये Application ID एवं Transaction ID संख्या (उदाहरण RPC-191XXXXX And XXXXXXXX) उपयोग करते हुए संबंधित महाविद्यालय/संस्थान की SSO ID के माध्यम से Web Form पर अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये तथ्यों/दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान किया गया जायेगा। उनके अतिरिक्त अन्य सभी अभ्यर्थियों से नियमानुसार निर्धारित आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 1500/- (अक्षरे रूपये एक हजार पांच सौ मात्र) आवेदन शुल्क तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 1000/- (अक्षरे रूपये एक हजार मात्र) प्राप्त करके राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में दिनांक 11.01.2022 को ऑन-लाईन जमा करायेंगे। ऐसा नहीं किये जाने पर अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।
3. योग्य अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के उपरान्त महाविद्यालय/संस्थान अपनी SSO ID के माध्यम से दिनांक 12.01.2022 से दिनांक 15.01.2022 तक अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10,000/- रूपये कौंसिल के खाते में जमा करायेंगे। ऐसा नहीं किये जाने पर अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।
4. योग्य अभ्यर्थियों का अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10,000/- रूपये प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग के उपरान्त दिनांक 17.01.2022 को प्रोविजनल आवंटन पत्र जारी किये जायेंगे, इसके पश्चात् अभ्यर्थी संबंधित महाविद्यालय/संस्थान में दिनांक 17.01.2022 से 21.01.2022 तक अपनी उपस्थिति (Reporting) प्रस्तुत करेंगे।

5. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के निम्न मूल दस्तावेज प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें:-
 1. 10वीं कक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र।
 2. 12वीं कक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र।
 3. प्रव्रजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate)।
 4. मूल निवास।
 5. जाति प्रमाण पत्र।
 6. आधार कार्ड एवं अन्य कोई भी फोटो पहचान आई.डी की छायाप्रति।
 7. राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (Medical Fitness Certificate), अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (Medical Fitness Certificate) 30 दिवस से अधिक अवधि से पुराना है, तो मान्य नहीं होगा।
 8. अन्य दस्तावेज जैसे P.H. Certificate/ WDP(Wards of Defense Personal) Certificate/ WPP(Wards of Para-military Personnel) Certificate/Widow/ Divorcee Certificate, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हों।
6. दस्तावेजों/तथ्यों में अन्तर होने की स्थिति में कौंसिल को तत्समय ही ई-मेल rpmc.helpdesk@gmail.com पर संबंधित दस्तावेज की प्रति के साथ प्रेषित करना होगा।
7. समस्त महाविद्यालयों/संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को प्रवेश देते समय प्रत्येक अभ्यर्थी के दस्तावेजों का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गहनता से जांच कर पूर्ण संतुष्टि उपरान्त ही अभ्यर्थी को प्रवेश दें। ऐसे नहीं करने पर इस संबंध में अभ्यर्थी को होने वाली किसी भी प्रकार की आर्थिक/मानसिक/समय की क्षति के लिए संबंधित महाविद्यालय/संस्थान जिम्मेदार होंगे तथा इसमें राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में कोई भी अभ्यर्थी/अभिभावक किसी भी न्यायालय में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के विरुद्ध किसी भी अनुतोष के पात्र नहीं होंगे, किन्तु संबंधित महाविद्यालय/संस्थाओं के विरुद्ध यदि अभ्यर्थी चाहे तो नियमानुसार अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।
8. अभ्यर्थी के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अलावा अन्य बोर्ड से कक्षा 10वीं व 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उसका सत्यापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर की समकक्षता निर्धारित करने संबंधी अनुदेशिका से मिलान करें। साथ ही संबंधित बोर्ड से अंक तालिकाओं का प्रमाणीकरण भी करवाया जावे।
9. अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अंक-तालिका के मिलान के समय यह सुनिश्चित करें कि उच्च माध्यमिक परीक्षा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं व अन्य समस्त वर्गों के अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की गई हो। इससे कम अंक वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है।
10. अभ्यर्थी द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित विषय) से उत्तीर्ण की गई है, यह सुनिश्चित करें। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित विषयों के अलावा अन्य विषयों यथा कृषि विज्ञान, भूगोल विज्ञान आदि विषयों से उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं है। किसी भी अनियमित प्रवेश पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय/संस्थान की होगी।
11. उच्च माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2020 या 2020 से पूर्व उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
12. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 31.12.2020 तक 17 वर्ष पूर्ण होनी अनिवार्य है।
13. यदि कोई अभ्यर्थी दिव्यांगजन (PH) श्रेणी का है तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दिव्यांगता (PH) प्रमाण पत्रों का परीक्षण राजकीय चिकित्सालय द्वारा मेडिकल बोर्ड से करवायें। परीक्षण के पश्चात् अभ्यर्थी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण हेतु पात्र पाये जाने पर ही प्रवेश दिया जावे। राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा निर्धारित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में हेतु चयनित दिव्यांगजनों का मेडिकल बोर्ड परीक्षण कराने हेतु मापदण्ड की छायाप्रति संलग्न है।
14. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान प्रवेश देने से पूर्व अभ्यर्थी से राजकीय चिकित्सालय से Medical Fitness Certificate प्राप्त कर इसे भी जॉइनिंग के समय प्राप्त किया जायेगा। संबंधित

✓

महाविद्यालय/संस्थान इस प्रमाण पत्र पर अंकित राजकीय चिकित्सालय का नाम, जारी कर्ता प्राधिकारी का नाम, डिस्पेच क्रमांक व दिनांक भली प्रकार जाँच लेवें। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय चिकित्सालय से Medical Fitness Certificate पर जारी कर्ता अधिकारी का नाम/डिस्पेच नं. अंकित ना हो तो ऐसे अभ्यर्थियों से राजकीय चिकित्सालय की मेडिकल रिलीफ सोसायटी/OPD की रसीद प्राप्त करने के पश्चात् उसी राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी Medical Fitness Certificate प्रस्तुत करता है तो मान्य है, जो इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 2156 दिनांक 27.08.2019 के द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में अवगत करवाया जा चुका है।

15. यदि कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी का है तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसरण में अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Class) जाति प्रमाण-पत्र जारी दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य है लेकिन एक बार क्रीमिलेयर में नहीं होने का प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमिलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जायेगा। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है, जो इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 2141 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में अवगत करवाया जा चुका है।
16. यदि कोई अभ्यर्थी अति पिछड़ा वर्ग (MBC) श्रेणी का है तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 15265 दिनांक 23.02.2018, संशोधित परिपत्र क्रमांक 15633 दिनांक 27.02.2018 एवं परिपत्र क्रमांक 36546 दिनांक 21.06.2019 के अनुसरण में अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थियों के पास यदि अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र है तो ऐसे अभ्यर्थियों को अति पिछड़ा वर्ग (MBC) श्रेणी का लाभ देते हुए अभ्यर्थियों की जोईनिंग स्वीकार करें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु जारी प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग की जाति का स्पष्ट उल्लेख हो तथा आवेदक द्वारा अति पिछड़ा वर्ग (MBC) श्रेणी के लाभ के लिए आवेदन किया हो, को अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित उक्त जातियों (1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया लौहार, गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी, देबासी, 5. गड़रिया (गाडरी), गायरी) को अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा। जो इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 2140 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में अवगत करवाया जा चुका है।
17. संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा अभ्यर्थियों से अधिकतम निम्नानुसार शुल्क प्राप्त किया जायेगा:-
 - A. Tuition Fees - Rs. 35000 per year
 - B. Caution money - Rs. 5000 (once in Course duration and refundable after completion of course)
 - C. Uniform Fee - Rs. 1500 (Once in Course duration)महाविद्यालय/संस्थान द्वारा ट्यूशन फीस के रूप में अभ्यर्थियों से 25000/- रुपये प्राप्त करेंगे। काउन्सलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय जमा कराई गई अग्रिम राशि 10000/- रुपये संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को कौंसिल द्वारा स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

यदि किसी महाविद्यालय/संस्था द्वारा उपरोक्त निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त राशि अभ्यर्थी से प्राप्त की जाती है तो ऐसे प्रकरणों की जानकारी में आने पर/लाये जाने पर संबंधित महाविद्यालय/संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर शास्ति (Penalty) के रूप में राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) प्रति प्रकरण वसूल किये जायेंगे तथा राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के अधिनियम 2008 की धारा 29 के तहत मान्यता समाप्त की जायेगी।
18. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क प्राप्त करते हुए तत्समय ही अभ्यर्थी को इसकी प्राप्ति रसीद जारी करें।
19. उपरोक्त मूल दस्तावेज महाविद्यालय/संस्थान अपने स्तर पर जमा कर कौंसिल द्वारा मांगे जाने पर मूल ही उपलब्ध करवायें। छात्रों को मूल दस्तावेज परीक्षा हेतु नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात्

alr

लौटा दिये जायेंगे। अतः सभी अभ्यर्थियों को आगामी अन्य किसी आवश्यकता हेतु अपने मूल दस्तावेजों के आवश्यक मात्रा में फोटो प्रतियां करवा लेने हेतु निर्देशित एवं पाबन्द करें।

20. यदि अभ्यर्थियों द्वारा मौखिक रूप से अवगत करवाया गया है कि उनके मूल दस्तावेज कहीं खो गये हैं, इसलिए उनके द्वारा डुप्लीकेट दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, इस संबंध में समस्त महाविद्यालय/संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी भी अभ्यर्थी के पास डुप्लीकेट दस्तावेज है या पूर्व में काउन्सलिंग के दौरान आपको प्रस्तुत किये गये हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों से थाने में दर्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त की जावे, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि अभ्यर्थी के मूल (Original) दस्तावेज कहीं खो गये हैं तथा अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र भी लिया जाये कि वह अन्य कोई रेगूलर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर रहा है, यदि ऐसा किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी।
21. सभी पैरा मेडिकल महाविद्यालय/संस्थाओं में पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा, ऐसा समस्त संबंधित अभ्यर्थी को भी अवगत करावें।
22. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश देने तथा फीस जमा कराये जाने के उपरान्त या अध्ययन के दौरान भी, किसी भी समय यह ज्ञात होने पर कि अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित नहीं करता है अथवा उसकी अर्हक परीक्षा की समकक्षता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की परीक्षा के समकक्ष नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश उसी समय रद्द कर दिया जावेगा तथा इसके फलस्वरूप संबंधित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्राप्त की गई फीस को पुनःसंदाय (Refund) संबंधित अभ्यर्थी को किया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी द्वारा तथ्य छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को फीस पुनःसंदाय(Refund) नहीं की जायेगी।
23. उपर्युक्तानुसार समस्त पैरा में अंकित दस्तावेज ओर उनकी प्रतिलिपियों की जांच संबंधित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की जावेगी और उनकी सत्यता व प्रमाणिकता की संतुष्टि उपरांत ही अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमत किया जावेगा। यदि किसी भी दस्तावेज में उपर्युक्त वर्णित शर्तों/पात्रता का उल्लंघन होने पर भी यदि संबंधित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमत किया जाता है तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा और राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा शास्ति (Penalty) के रूप में राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) प्रति प्रकरण पर वसूल किये जायेंगे, तथा इस कारण इस सीट के रिक्त रहने की स्थिति की समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय/संस्थान की होगी।
24. समस्त महाविद्यालय/संस्थान प्रवेश प्रक्रिया का सम्पूर्ण रिकॉर्ड का संधारण महाविद्यालय में आवश्यक रूप से करेंगे तथा राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा मांगे जाने पर अविलम्ब कौंसिल को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(कैलाश नारायण मीना)

आर.ए.एस.

रजिस्ट्रार

दिनांक:- 31/12/21

क्रमांक:- प. 13 ()/काउ.(सत्र 2020-21)/रा.पै.मेडि.कौं/2021/168

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
6. सत्र 2020-21 में पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रशिक्षण हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचनार्थ।
7. सर्वररूम प्रभारी, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार